क्रमांक 05/रा.भू.सु.आ/2016/100 दिनांक 28/10.2016

# मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग,

प्लाट नं. 220, राजस्व राहत भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

## संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्रों का आमंत्रण

इस आयोग को प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय और निजी भूमियों के प्रबंधन से संबधित बिन्दुओं की समग्र समीक्षा कर अपनी अनुशंसाएँ राज्य शासन को प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया है। आयोग को अपने कार्य के लिए निम्नानुसार योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है।

1. **वरिष्ठ सलाहकार (भूमि प्रबंधन)** (1 पद) समेकित मासिक परिलब्धियाँ रू. 80,000 :– वरिष्ठ सलाहकार (भूमि प्रबंधन) आयोग को विचारार्थ सौंपे गए विषयों के अध्ययन करने और प्रतिवेदन तैयार करने में सभी प्रक्रमों पर आयोग की सहायता करेगा। आवेदक भूमि संबंधी विभिन्न कानूनों का अच्छा ज्ञाता हो, राजस्व प्रशासन का व्यावहारिक अनुभव रखता हो और नीति अनुसंधान का संचालन करने में समर्थ हो। वह न्यूनतम राज्य शासन के सचिव/समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हुआ हो और उसने मैदानी स्तर पर न्यूनतम कलेक्टर के पद पर कार्य किया हुआ हो। विधि में स्नातक की उपाधि और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में दक्षता वांछनीय होगी।

2. **सलाहकार (ग्रामीण भूमि प्रबंधन)** (1 पद) समेकित मासिक परिलब्धियाँ रू. 50,000 :– आवेदक राजस्व विधि और प्रकिया के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों में निपुण हो और भूमि प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन/अनुसंधान करने में सक्षम हो। वह न्यूनतम शासन के उपसचिव पद या समकक्ष स्तर से सेवानिवृत्त हुआ हो और उसने मैदानी स्तर पर न्यूनतम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर कार्य किया हुआ हो। उच्चतर सचिवालयीन और मैदानी अनुभव रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। विधि स्नातक की उपाधि और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में दक्षता वांछनीय होगी।

2/ दोनों ही पदों के लिए अधिकतम आयुसीमा 65 वर्ष (दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 की स्थिति में) है। नियुक्ति संविदा आधार पर प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है। संविदा नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी।

3/ इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर अपना विस्तृत बायोडेटा और सुसंगत दस्तावेज/प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करते हुए और अपने संपर्क विवरण देते हुए डाक से अथवा समक्ष में सदस्य सचिव के कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि **15 नवम्बर, 2016** है।

4/ आयोग के द्वारा अपने विवेकानुसार प्राप्त आवेदनों को छाँटकर एक संक्षिप्त सूची तैयार कर केवल सूची में सम्मिलित आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा।

**(यह विज्ञापन राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.prcmp.org पर भी देखा जा सकता है)**

27.10.16

(अशोक कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग, दूरभाष
2550502